न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2019-00118RAAJodhpur2019-60RTA223 Gularam Vs Hariram etc

1. गुलाराम पुत्र श्री रामदयाल
2. उदाराम पुत्र श्री रामदयाल
3. देवाराम पुत्र श्री रामदयाल
4. बाबुराम पुत्र श्री रामदयाल
5. ओमाराम पुत्र श्री चन्द्राराम
6. डूंगरराम पुत्र श्री चन्द्राराम
7. श्यामलाल पुत्र श्री चन्द्राराम
8. कंवराराम पुत्र श्री बस्तीराम
9. पूनाराम पुत्र श्री तुलछाराम
10. हमीरराम पुत्र श्री तुलछाराम
11. जीताराम पुत्र श्री हरकाराम
12. गुठाराम पुत्र श्री रामरख
13. कालूराम पुत्र श्री मोतीराम
14. चेनाराम पुत्र श्री घेवरराम
15. भंवरलाल पुत्र श्री घेवरराम
16. प्रकाश पुत्र श्री धर्माराम
17. जेठाराम पुत्र श्री रूपाराम
18. रामदीन पुत्र श्री पेमाराम
19. हेमराज पुत्र श्री हरलाल
20. रामुराम पुत्र श्री हीराराम
21. अमराराम पुत्र श्री गंगाराम
22. पूनाराम पुत्र श्री रूपाराम
23. राजुराम पुत्र श्री रूपाराम

सभी जातियान् माली, निवासीगण- देवातड़ा,
तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. हरिराम पुत्र श्री गेनाराम
2. जसाराम पुत्र श्री गेनाराम
3. धनाराम पुत्र श्री गेनाराम
4. जगदीश पुत्र श्री भीखाराम
5. पूसाराम पुत्र श्री भीखाराम

10.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6. लुम्बाराम पुत्र श्री घमण्डाराम
7. तेजाराम पुत्र श्री हरचन्दराम (डिलीटेड)
8. सुगनाराम पुत्र श्री हरचन्दराम
9. भलाराम पुत्र श्री रामदयाल
10. गेपाराम पुत्र श्री रामदयाल
11. गुमानाराम पुत्र श्री चन्द्राराम
12. मंगलाराम पुत्र श्री बस्तीराम
13. हजारीराम पुत्र श्री हरकाराम फौत के कायम मुकामः -
    - 13.1. ढगलाराम पुत्र हजारीराम
    - 13.2. सन्तोकी दुवी पत्नी स्व. श्री गोकलराम
    - 13.3. विशनाराम पुत्र स्व. श्री गोकलराम
    - 13.4. मुकेश पुत्र स्व. श्री गोकलराम
    - 13.5. संगीता पुत्र स्व. श्री गोकलराम
14. अणची पत्नी श्री तुलछाराम
15. मांगीलाल पुत्र श्री हरदेवराम
16. केवलराम पुत्र श्री हरदेवराम
17. गोबरराम पुत्र श्री मोतीराम
18. लालाराम पुत्र श्री धर्माराम
19. श्रवणराम पुत्र श्री धर्माराम
20. कमली पुत्री श्री धर्माराम
21. बेबुड़ी पुत्री श्री धर्माराम
22. मंजु पुत्री श्री धर्माराम
23. सोहनी पत्नी श्री धर्माराम
24. हरजीराम पुत्र श्री पेमाराम
25. बिरमराम पुत्र श्री हरलाल
26. भंवरी पुत्री श्री हरलाल
27. मांनी पुत्री श्री हरलाल
28. शारदा पुत्री श्री हरलाल
29. आचुकी पत्नी श्री हरलाल
30. गोदाराम पुत्र श्री हीराराम
31. उदाराम पुत्र श्री हीराराम
32. झूंमरराम पुत्र श्री गंगाराम
33. जालाराम पुत्र श्री गंगाराम
34. धोकलराम पुत्र श्री रूपाराम
35. जेठाराम पुत्र श्री रूपाराम
36. पारसराम पुत्र श्री भीकाराम
37. दुर्गाराम पुत्र श्री भीकाराम

10.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

38. देवली पत्नी श्री भीकाराम
    सभी जातियान् माली, निवासीगण- देवातड़ा,
    तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
39. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भोपालगढ।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 जून 2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व मूल वाद संख्या 41/2015 हरिराम व अन्य बनाम भलाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री राजीव शर्मा, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 01 से 06, 8,17,34 से 38
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 39

नि र्ण य

दिनांक : 10 जनवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 41/2015 हरिराम व अन्य बनाम भलाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 जून 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 12 जून 2019 को प्रस्तुत की है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपीलाण्ट्स की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम भी पेश किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण-रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 869, 869/1, 869/2 कुल तीन खसरा कुल रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा ग्राम देवातड़ा के

10.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संबंध में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16 जून 2017 को वादी/रेस्पो. का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार भोपालगढ से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी संयुक्त बहस में निवेदन किया किया कि विचाराधीन प्रकरण में पक्षकारों ने राजीनामा कर लिया है। राजीनामा के अनुसार पक्षकार वाद को मौजिज व्यक्तियों के द्वारा नाप-चौक कर आपसी सहमति से निपटारा किया जायेगा। अंत में उभय पक्ष ने निवेदन किया कि उभय पक्ष की संयुक्त इस्तदुआ को स्वीकार फरमाय जावे एवं अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं प्रकरण के राजीनामा अनुसार निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने नियमानुसार वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 05 जनवरी 2024 की फोटोप्रति का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा की फोटोप्रति एवं उभय पक्ष संयुक्त बहस मुताबिक पक्षकारान् राजीनामा एवं लोक अदालत की भावना से मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी के संबंध में विवाद का निस्तारण करना चाहते है।

ऐसी स्थिति में न्याय हित में तथा उभय पक्ष की सहमति एवं राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 41/2015 हरिराम व अन्य बनाम भलाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 जून 2017 को

10.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले राजीनामा बाबत विधिवत नियमानुसार कार्यवाही कर वाद का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर